न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 168 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 दलीप सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र जयदेवाराम जाति जाट निवासी ग्रा. ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ.धा0 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.17 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बनवानी दलीप सिंह बनाम सरकार मु. नं.102 / 15

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश डांगी अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

—निर्णय—

दिनांकः—30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 102/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम ओजटु की भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 1.43 हैक्टेयर की खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया प्रतिवादी तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विवेचन बिना वाद खारिज किया है जो विधि विरूद्व है। अपीलांट ठिकाने के समय से काबिज काश्त है अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजनियां के नाम दर्ज है जिसे वादी ने पक्षकार नही बनाया है विचारण न्यायालय ने वाद सही खारिज किया है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में भजनीयां वल्द दुला जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि के खातेदार को वाद में पक्षकार बनाना आवश्यक है उसके अभाव में वाद चलने योग्य नही है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने रिकार्डेड खातेदार भजनीयां को पक्षकार ही नही बनाया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर